<u>न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर</u>

<u>पीठासीन अधिकारी :– प्रदीपसिंह सांगावत, आर॰ए॰एस॰</u>

<u>प्रकरण संख्या 37 / 2021 (उदयपुर डिक्री)</u>

श्रीमती कमलेश पत्नी हरिशचन्द्र जी गुप्ता महाजन, निवासी सुन्दरवास, उदयपुर (राज.)

.... अपीलान्ट

<u>बनाम</u>

1. राजस्थान राज्य जरिये जिलाधीश, उदयपुर (राज.)
2. तहसीलदार गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

.................रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
का॰अ॰ 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) गिर्वा
दिनांक 17.02.2021 प्र. सं. 117 / 19

———/———

<u>उपस्थित</u> :– 1. श्री कैलाश नागदा अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री कमलेश चौहान राजकीय अभिभाषक

———::———

<u>निर्णय</u> <u>दिनांक 07–08–2024</u>

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट ने एक वाद बाबत् अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम सुन्दरवास, तहसील गिर्वा में साबिक बन्दोबस्त की आराजी नंबर 191 रकबा पौन बीघा 2 बिस्वा, आराजी नंबर 192/1 रकबा पौन बीघा 1 बिस्सा, आराजी नंबर 194 रकबा 9 बिस्वा एवं आराजी नंबर 196/1 रकबा पौन बीघा 4 बिस्वा कुल किता 4 रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा भूमि स्थित है, जो वादिया ने खुबीलाल पिता अमृतलाल बाबेल से जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 04–05–1978 को क्रय कर कब्जा प्राप्त किया, जिसका नामान्तरकरण संख्या 123 वादिया के पक्ष में स्वीकृत हुआ तथा क्रय दिनांक से आज तक वादिया काबिज चली आ रही है तथा इस भूमि के चारों ओर पक्की बाउण्ड्रीवाल बनाकर इसमें रिहायशी मकान बना रखा है, जिसमें वादिया अपने परिवार के साथ निवास करती है। हाल बन्दोबस्त में उक्त आराजियात के नये नंबर 447 बनाये गये,

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:51:27 IST
Reason: SelfAttested

जिसका रकबा 0.6100 हैक्टर ही अंकित किया गया, जबकि साबिक के मुकाबले रकबा 0.6589 हैक्टर बनता है। इस प्रकार 0.0489 हैक्टर रकबा कम दर्ज हुआ है, जो सहवन से हुआ है।

इसी प्रकार साबिक आराजी नंबर 193 रकबा 4 बिस्वा कुंए का खातेदार खुबीलाल से 1/2 हिस्सा भी वादिया द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय विलेख से क्रय किया गया है, जिसका नामान्तरकरण संख्या 123 वादिया के नाम स्वीकृत हुआ है। उक्त 4 बिस्वा का नवीन रकबा 0.0432 हैक्टर होता है, किन्तु हाल आराजी नंबर 448 का रकबा 0.0382 हैक्टर ही अंकित किया गया है। इस प्रकार 0.0050 हैक्टर रकबा कम अंकित किया गया है।

अतः साबिक रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा के मुकाबले नया रकबा 0.6589 हैक्टर होता है, जबकि वादिया के खाते में 0.6100 हैक्टर रकबा ही दर्ज किया गया है। अर्थात कमी रकबा 0.0489 हैक्टर का वादिया को खातेदार घोषित किया जावे एवं इसी प्रकार साबिक रकबा 4 बिस्वा का हाल रकबा 0.0432 हैक्टर होता है, जबकि हाल रकबा 0.0382 हैक्टर ही दर्ज किया गया है। अर्थात कमी रकबा 0.0050 हैक्टर में 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

प्रतिवादीगण द्वारा खण्डन का जवाब प्रस्तुत कर बताया कि वादिया का कमी रकबा किस आराजी में गया है इसे वादिया स्वयं साबित करावे। राजस्व रेकार्ड में जो अंकन है वह सही है। अतः वादिया का वाद खारिज किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने प्लीडिंग्स के आधार पर कुल तीन तनकियां कायम की एवं अपने निर्णय दिनांक 17–02–2021 से वादिया का वाद साबित नहीं होना मानकर खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादिया द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्टगण की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री कमलेश चौहान उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

Signature Not Verified

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने [illegible]मों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि विवादित आराजी नंबर 191, 192/1,

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:51:27 IST
Reason: SelfAttested

194 एवं 196/1 कुल किता 4 रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा भूमि जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 04–05–1978 को क्रय कर कब्जा प्राप्त किया, जिसका नामान्तरकरण संख्या 123 वादिया के पक्ष में स्वीकृत हुआ, किन्तु उक्त आराजियात के नये नंबर 447 बनाकर रकबा 0.6100 हैक्टर ही अंकित किया गया, जबकि साबिक के मुकाबले रकबा 0.6389 हैक्टर अंकित होना चाहिए था। इस प्रकार 0.0489 हैक्टर रकबा कम दर्ज हुआ है। इसी प्रकार साबिक आराजी नंबर 193 रकबा 4 बिस्वा कुंए का 1/2 हिस्सा भी वादिया द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय विलेख से क्रय किया गया है, जिसका नवीन रकबा 0.0432 हैक्टर होता है, किन्तु हाल आराजी नंबर 448 का रकबा 0.0382 हैक्टर ही अंकित किया गया है। इस प्रकार 0.0050 हैक्टर रकबा कम अंकित किया गया है। वादिया/अपीलान्ट ने अपने वाद को दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों से साबित कराया है, किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने बिना साक्ष्यों का विवेचन किये अपीलान्ट/वादिया का वाद खारिज कर दिया है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री निरस्त फरमायी जावे तथा वादिया/अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में चाहा गया अनुतोष दिलाया जावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण पर उपलब्ध साक्ष्यों अनुसार तनकीवार विवेचन करते हुए निर्णय पारित किया है, जो विधि सम्मत होने से अपील खारिज की जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। जमाबन्दी संवत् 2030 से 2033 में विवादित आराजी नंबर 191, 192/1, 194 एवं 196/1 कुल किता 4 रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा खुबीलाल पिता अमृतलाल बाबेल के खातेदारी में दर्ज है एवं आराजी चाह नंबर 193 रकबा 4 बिस्वा में खुबीलाल पिता अमृतलाल बाबेल 1/2 हिस्सा दर्ज है, जो खुबीलाल द्वारा वादिया के पक्ष में विक्रय किये जाने से जरिये नामान्तरकरण संख्या 123 वादिया के नाम दर्ज हुई है तथा मिलान क्षेत्रफल अनुसार साबिक आराजी नंबर 191, 192/1, 194 एवं 196/1 कुल किता 4 रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा से हाल आराजी नंबर 447 रकबा 0.6100 हैक्टर एवं साबिक आराजी नंबर 193 [illegible] बिस्वा से हाल आराजी नंबर 448 का रकबा 0.0382 [illegible] प्रकट [illegible] है। यह सही है कि साबिक

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:51:27 IST
Reason: SelfAttested

के मुकाबले हाल सेटलमेन्ट में रकबा कम अंकित हुआ है, किन्तु वादिया/अपीलान्ट यह साबित कराने में असफल रही है कि उक्त कमी रकबा किस आराजी में गया है। वादिया का वाद स्वयं के पैरों पर खड़ा होता है, जो वादिया साबित कराने मे असफल रही है। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय ने तनकीवार विवेचन करते हुए वादिया का वाद साबित नहीं होना मानकर खारिज किया है, जो प्रथम दृष्टया विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री 17–02–2021 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय आज दिनांक 07–08–2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(प्रदीपसिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:51:27 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**प्रदीपसिंह सांगावत, आर.ए.एस.** .....

श्रीमती कमलेश पत्नी हरिशचन्द्र जी गुप्ता महाजन, निवासी सुन्दरवास, उदयपुर बनाम **राजस्थान राज्य जरिये जिलाधीश, उदयपुर व अन्य**

अपील नं....**37/21**...व नाराजगी डिगरी अदालत ....**सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)**. .....**गिर्वा**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**17**.....माह.....**02**.....**2021**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**07**....माह.....**08**....सन् **2024** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री कैलाश नागदा**.....मिनजानिब अपीलान्ट व.....**श्री कमलेश चौहान**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि.... **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री 17–02–2021 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....)..... रूपये .... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**07**.....माह.....**08**.....**2024** को जारी किया गया।

(प्रदीपसिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:51:27 IST
Reason: SelfAttested